// कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर
Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, कांकेर वन मण्डल के कांकेर परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम नाथियानवागांव नारंगी वन खण्ड कक्ष क्रमांक 346 में से रकबा 2.00 हें. में ''सीन ऑफ क्राईम यूनिट – ओकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 08.12.2015 को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ठ प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं है तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्पारिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित नहीं है।

आवेदक विभाग के द्वारा ''सीन ऑफ क्राईम यूनिट – ओकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु मांग की गई वन भूमि रकबा 2.000 हें. परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन कक्ष ओ.ए./346 के प्रस्तावित स्थल में कुल 97 मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 02 से 03 तक तथा स्थल गुण श्रेणी अन्डर स्टॉक के है एवं प्रस्तावित स्थल समाकृति उबड–खाबड़, भौमिकी आरकियन और मृदा कंकड़ीली है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

आवेदक विभाग द्वारा बढ़ते हुए अपराधों को ध्यान में रखते फारेसिंक साइंस के माध्यम से अपराधी तक पहुँचने के लिए ''सीन ऑफ क्राईम यूनिट – ओकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना की जा रही है। कार्य की महत्तता को देखते हुए उक्त प्रयोजन राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि में ''सीन ऑफ क्राईम यूनिट – ओकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु के लिए दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर